

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1063 /2019


दिनांक : 14.05.2019

श्री देवेन्द्र कच्छवाह (RJ0018), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को दिनांक 01.05.2019 से 02.05.2019 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्री कच्छवाह की अनुपस्थिति में विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/11/2001/ 4563

दिनांक 14.5.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को उनके पत्रांक 3298 दिनांक 03.05.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री देवेन्द्र कच्छवाह (RJ0018), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ।
4. विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ।


सहायक रजिस्ट्रार